भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1580
दिनांक 13 फरवरी, 2025

स्वयं-सहायता समूहों और सहकारी समितियों को पेट्रोल पंप डीलरशिप का आवंटन

†1580. श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश में पेट्रोल पंपों का प्रबंधन करने के लिए किसान सहकारी समितियों और स्वयं-सहायता समूहों को अनुमति देने हेतु कोई मौजूदा प्रावधान या नीति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या डीडब्ल्यूसीआरए (ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास) समूहों या सहकारी समितियों को विशेष रूप से पेट्रोल पंप प्रबंधन अधिकार प्रदान करने के लिए विशेष अधिसूचनाएं जारी करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हो, तो इसके कार्यान्वयन की समय-सीमा और रूपरेखा क्या है और;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे समूहों द्वारा पेट्रोल पंपों के प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण विकास और स्वरोजगार के लिए कृषि अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ग): सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) ने अपने डीलरशिप चयन दिशानिर्देश, 2023 में सीसी 2 (संयुक्त श्रेणी 2) के अन्दर प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसायटी (पीएसीएस) के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है।

सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड सरकारी निकाय/अभिकरण सोसायटियों/को-ऑपरेटिव सोसायटीज अधिनियम, 1912 या सम्बन्धित राज्यों द्वारा अधिनियमित को-ऑपरेटिव सोसायटीज अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड सोसायटियाँ, सम्बन्धित राज्य सरकारों के चैरिटी कमीश्नर के साथ रजिस्टर्ड चैरिटिबल ट्रस्ट, प्राइ. लिमि. कम्पनियों सहित कम्पनी अधिनियम, 1956/2013 के अन्तर्गत बनाई गई कम्पनियाँ गैर-व्यक्ति संस्थाओं (आवेदकों) के रूप में आवेदन करने के लिए पात्र हैं बशर्ते वर्तमान डीलर चयन दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदण्डों को पूरा करते हों।

वर्तमान में डीडब्ल्यूसीआरए (ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बच्चो का विकास) को अनन्य रूप से पेट्रोल पम्प प्रबन्धन अधिकार प्रदान करने के लिए अधिसूचना जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

****